[26/2/2021]

प्रश्न सं. [क्र. 1218]

परिशिष्ट "अ" - 1

कार्यालय अति.पुलिस अधीक्षक (जोन–3), जिला उज्जैन (म.प्र.)

क्रमांक / अति.पु.अ. / उज्जैन / जोन–3 / सु.कोर्ट / 2704 / 19 दिनांक – 06 / 12 / 2019

प्रति,

श्री हर्ष परासर,
स्टेंडिंग काउंसिल मध्यप्रदेश शासन,
माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली

विषय :– एस.एल.पी. (क्रिमीनल) क्र. 7740 / 2018 "मध्यप्रदेश शासन द्वारा थाना महिदपुर उज्जैन विरूद्ध हसमुखलाल नवलखा" में अद्यतन स्थिति (स्टेटस रिपोर्ट) प्रदान करने बाबत्।

संदर्भ :– पत्र क्र. / पु.अ. / उज्जैन / ओ.एम. / वि.स.शी.स. / 04–बी / 19, दिनांक 26.11.19,

---: 000: ---

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नवलक्खा बीज कंपनी महिदपुर जिला उज्जैन से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के प्रकरण क्र. 6742 / 2015 में दिनांक 20.01.17 को पारित निर्णय के विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी. (क्रिमीनल) क्र. 7740 / 2018 "मध्यप्रदेश शासन द्वारा थाना महिदपुर उज्जैन विरूद्ध हसमुखलाल नवलखा" की अद्यतन स्थिति (स्टेटस रिपोर्ट) के संबंध में निम्न दो बिन्दुओं पर जानकारी प्रेषित करने करने हेतु निर्देशित किया गया है :–

1. नवलक्खा बीज कंपनी महिदपुर, जिला उज्जैन की माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर एस.एल.पी क्र. 7740 / 2017 (क्रिमीनल) की अद्यतन स्थिति बतायें।
2. इसमें शासन की ओर से पैरवी करने वाले अधिकारीयों के नाम, पदनाम एवं नियत की गई सुनवाई की तिथियों पर उपस्थिति का समस्त विवरण देवें।

उल्लेखनीय है कि नवलक्खा बीज कंपनी महिदपुर जिला उज्जैन से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर के प्रकरण क्र. 6742 / 2015 में दिनांक 20.01.17 को माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर थाना महिदपुर के अपराध क्र. 35 / 2015 धारा 420, 468 भादवि. एवं 3/7 ई.सी.एक्ट की एफ.आई.आर एवं सम्पूर्ण चालान को क्वेश किया गया था। उक्त निर्णय के विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. (क्रिमीनल) क्र. 7740 / 2018 "मध्यप्रदेश शासन द्वारा थाना महिदपुर उज्जैन विरूद्ध हसमुखलाल नवलखा" प्रस्तुत की गई थी। तत्कालीन अति.पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण–1) जिला उज्जैन श्री मनीष खत्री उक्त प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्त थे एवं उनके द्वारा दिनांक 20.03.17 को प्रकरण में नियुक्त मध्यप्रदेश शासन के स्थाई अधिवक्ता श्री सौरभ मिश्रा से सम्पर्क कर प्रकरण में आवश्यक दस्तावेज एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था।

कृपया उक्त दो बिन्दुओं की जानकारी पत्र के वाहन सउनि. जय प्रकाश शर्मा, थाना महिदपुर, जिला उज्जैन के हस्ते भिजवाने की कृपा करें।

संलग्न :– संदर्भित पत्र–(01)

T.C.

आकाश भूरिया

9.2.21

AIG of Police
P. BHOPAL

(अंतर सिंह कनेश)
अति.पुलिस अधीक्षक

परिशिष्ट "अ" - 2

कार्यालय अति.पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), जिला उज्जैन (म.प्र.)

क्रमांक / अति.पु.अ. / उज्जैन / ग्रामीण / सु.कोर्ट / 91 / 2021 दिनांक – 15/01/2021

प्रति,

श्री हर्ष परासर,
स्थाई अधिवक्ता, म0प्र0 शासन
माननीय सर्वोच्च न्यायालय परिसर,
नई दिल्ली–110008,

विषय :– नवलक्खा बीज कंपनी महिदपुर के प्रकरण की अद्यतन स्थिति के संबंध में।
संदर्भ :– एस.एल.पी. (क्रिमीनल) 17688 / 2017,

----: 000: ----

उपरोक्त विषय में अनुरोध है कि नवलक्खा बीज कंपनी महिदपुर जिला उज्जैन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के प्रकरण क्र. 6742 / 2015 में दिनांक 20.01.17 को पारित निर्णय के विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन द्वारा माननीय उच्यतम न्यायालय नई दिल्ली में एस.एल.पी. (क्रिमीनल) क्र. 7740 / 2018 "मध्यप्रदेश शासन द्वारा थाना महिदपुर उज्जैन विरूद्ध हसमुखलाल नवलखा" दायर की गई है।

उक्त एस.एल.पी. की अद्यतन स्थिति के संबंध में मेरे द्वारा इन्टरनेट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने पर उक्त प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक नियत नहीं होकर प्रकरण लंबित होना ज्ञात हुआ। प्रकरण वर्तमान में किस स्टेज पर चल रहा है एवं आगामी पेशी दिनांक क्या है, यह लम्बे समय से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है।

अतः इस संबंध में अनुरोध है कि प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक क्यों नियत नहीं हो पा रही है एवं प्रकरण में वर्तमान में क्या कार्यवाही चल रही है, इस संबंध में प्रकरण की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने का कष्ट करें।

T. C.

16/1/21

(आकाश भूरिया)
अति.पुलिस अधीक्षक
(ग्रामीण) जिला उज्जैन

आकाश भूरिया
अति. पुलिस अधीक्षक
(ग्रामीण) जिला उज्जैन

9.2.21
AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

गृह (पुलिस) विभाग ... (1),
मंत्रालय, भोपाल